न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास–श्री अरूण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –128/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर –2024/148

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
जेठमल पुत्र दाउलाल जाति–गहलोत, निवासी–नयादरवाजा रोड, नागौर राजस्थान।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील डॉ0 पवन श्रीमाली।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां ।

:: निर्णय :: दिनांक :–08.01.2025

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार,नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 29/2024 अनवान सरकार बनाम जेठमल में पारित निर्णय दिनांक 03.04.2024 से असंतुष्ट होकर दिनांक 08.07.2024 को प्रस्तुत की हैं। अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलांट का मयाद के बिन्दू पर तर्क हैं कि उक्त प्रकरण की तामिल न तो अपीलांट से करवायी गई हैं एवं न ही प्रार्थी के परिवार के किसी सदस्य से तामिल करवाई गई, इस कारण प्रार्थी की अनुपस्थिति में प्रार्थी को सूचना दिये बिना प्रकरण संख्या 29/2024 में निर्णय दिनांक 03.04.2024 पारित किया गया हैं। इस पारित निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम प्रार्थी को दिनांक 13.06.2024 को हुई, जब मौके पर राजस्व विभाग का कोई कर्मचारी आया और उक्त आदेश का हवाला देकर कब्जा हटाने का कहा, तब अपीलांट ने निर्णय जेर अपील की नकले अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर बिना विलम्ब के जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की हैं। इसलिए अपील अन्दर मियाद शुमार की जावें।

राजपेरोकार का दौराने बहस कथन हैं कि नोटिस आसामी स्वयं से तामिल हुआ हैं तथा इस निर्णय की अपीलांट को पूरी जानकारी थी,इसके बाद भी यह अपील मयाद में पेश नहीं की गई हैं। इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायहित में अपील अपीलांट अन्दर मयाद शुमार किया जाना उचित होने से अपील अपीलांट अन्दर मयाद मानी जाती हैं।

वकील उभय पक्षकारान मूल प्रकरण पर बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलांट का दोराने बहस कथन हैं कि दिनांक 19.03.2024 को निरीक्षक भू अभिलेख व हल्का पटवारी,नागौर द्वारा एक आवेदन तैयार कर तहसीलदार,नागौर के समक्ष दिनांक 20.03.2024 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि जेठमल पुत्र दाउलाल माली

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

8.1.25
कलक्टर नागौर

द्वारा संवत 2080 वर्ष में खसरा नम्बर 95 मौजा नागौर के रकबा 0.1780 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण किया हैं, उचित कार्यवाही करावें । तत्पश्चात तहसीलदार,नागौर द्वारा कार्यवाही अमल में ली जाकर धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू कर प्रकरण संख्या 29/2024 दर्ज कर दिनांक 20.03.2024 को ही नोटिस जारी कर दिया गया। जो नोटिस न तो प्रार्थी को प्राप्त हुआ, न ही प्रार्थी को इस प्रकरण बाबत किसी प्रकार की कोई सूचना हुई, न ही प्रार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिला हैं। तत्पश्चात किसी अनजान व्यक्ति द्वारा नोटिस लेने की बात का अंकन करते हुए दिनांक 03.04.2024 को बेदखली के आदेश पारित कर दिये गये जो निर्णय व आदेश जेर अपील कानूनी तथ्यों व परिस्थितियो के विरूद्ध, साक्ष्य व रेकर्ड के विरूद्ध तथा मौके की स्थिति के विरूद्ध होने के अतिरिक्त प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी कथन हैं कि प्राकृतिक न्याय का यह सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार के विरूद्ध निर्णय पारित करने से पूर्व उसे साक्ष्य सबूत व जवाब प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए, मगर वर्तमान प्रकरण में मातहत न्यायालय ने इसकी मात्र खानापूर्ति की तथा महत्वपूर्ण बिन्दूओ को नजर अंदाज कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित कर न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किये बिना व अपने में निहित क्षेत्राधिकारो का गलत रूप से प्रयोग करते हुए निर्णय पारित किया हैं,जो विधि सम्मत निर्णय नही होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही केवल मात्र कागजी तथ्यो के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है एवं पटवारी हल्का नागौर से जिरह एवं अन्य साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना ही निर्णय जेर अपील पारित करने में बड़ी भारी कानूनी व विधिकभूल की हैं। भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का द्वारा जो आवेदन दिनांक 19.03.2024 को तैयार किया गया हैं, उस आवेदन को देखने मात्र से ही प्रतीत होता है कि उक्त आवेदन एक साइक्लो स्टाईल आवेदन हैं, जिसे मात्र खाली जगह पर भरकर आवेदन प्रस्तुत किया गया हैं, जो कि विधि की दृष्टि से न्यायोचित नही हैं, दोनो राजस्व अधिकारियो को स्पष्ट रूप से नया आवेदन तैयार कर प्रस्तुत करना चाहिए था।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी कथन हैं कि तहसीलदार,नागौर द्वारा जो नोटिस जारी किया गया हैं, उसमें कही पर भी प्रार्थी द्वारा चारदीवारी, टिनशेड व घास उगाकर अतिक्रमण करने का उल्लेख नही किया गया हैं, इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त नोटिस भी अपने आप में अपूर्ण व विधि की दृष्टि से सही नही है। उक्त नोटिस में भी पूर्व में अतिक्रमण बाबत उल्लेख कर अंकन किया है। जबकि इसके संबंध में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नही हैं, इससे यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि उक्त नोटिस भी विधि की दृष्टि से गलत होने से कारण सम्पूर्ण कार्यवाही विधि विरूद्ध हैं, जो अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है।

उक्त नोटिस में तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट में किस व्यक्ति द्वारा तामिल की गई हैं, इसका कही पर भी उल्लेख नही है, ना ही उस व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, पता व अन्य शकूनत बाबत कोई उल्लेख किया गया है। यहां यह बताना आवश्यक है कि उक्त नोटिस प्रार्थी को कभी प्राप्त नही हुआ, न ही प्रार्थी के हस्ताक्षर हैं, न ही नोटिस की प्रार्थी को जानकारी हुई, न ही प्रकरण संख्या 29/2024 की जानकारी कभी प्रार्थी को हुई, इससे स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि प्रार्थी को सुने

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

8.1.25
कलक्टर नागौर

बिना ही एवं प्रार्थी का नोटिस व्यक्तिगत तामिल करवाये बिना ही निर्णय जेर अपील पारित कर दिया, जो तहसीलदार,नागौर द्वारा अपने में निहित क्षेत्राधिकारो का गलत उपयोग करते हुए निर्णय जेर अपील पारित किया हैं, जो अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य है।

निर्णय दिनांक 03.04.2024 जो कि तहसीलदार,नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 29/2024 में पारित किया गया हैं, के अवलोकन मात्र से ही यह प्रतीत होता है कि उक्त निर्णय एक साइक्लो स्टाईल निर्णय हैं, जिसमे प्रार्थी की उपस्थिति बाबत कोई भी विधिक अंकन नही हैं, नही व्यक्तिगत तामिल बाबत, न ही प्रतिस्थापित तामिल बाबत, न ही प्रार्थी के परिवार के सदस्यो द्वरा तामिल करवाये जाने का कोई उल्लेख हैं, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थी के विरूद्ध जो कार्यवाही अमल में लाई गई हैं वह विधि विरूद्ध हैं।

विद्वान वकील अपीलांट ने यह भी तर्क दिया कि उक्त खसरा नम्बर 95 में पूर्व में प्रार्थी द्वारा किये गये कब्जे को नियमन कर पटटा जारी किया गया था, जो दिनांक 29.06.1992 को जारी किया गया था, उक्त भूमि भी खसरा नम्बर 95 में स्थित थी, जो 240 वर्गगज भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित की गई थी। इसके साथ ही यह अतिक्रमण सुदा भूमि मिलाकर सम्पूर्ण भूमि का पटटाजारी करना चाहिए था, मगर भूलवश खसरा नम्बर 95 के 0.1780 हैक्टेयर भूमि को छोडकर शेष भूमि का पटटा जारी कर दिया गया,जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थी का इस भूमि पर वर्षो पुरानानिर्माण हैं, वर्षो पुराना कब्जा हैं, पटटा जारी करते समय सम्पूर्ण भूमिका पटटा जारी करना चाहिए था, मगर शेष भूमि का पटटा जारी नही कर तत्कालीन समय में भूल हुई हैं, इसके कारण प्रार्थी के विरूद्ध यह कार्यवाही की गई हैं, इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थी एकसद्भावी कब्जाधारी व्यक्ति हैं, जिसका वर्षो पुराना कब्जा हैं, जो नियमन लायक हैं, राज्य सरकार द्वारा भी समय–समय पर परिपत्र जारी कर पुराने कब्जे को नियमन करने की कार्यवाही की जाती रही हैं,प्रार्थी का कब्जा भी पुराना होने के कारण नियमन योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय को नियमन का आदेश जारी करना चाहिए था, मगर बेदखली का आदेश जारी कर त्रुटि कारित की हैं, जो कि अपील के माध्यम से निरस्त किये जाने योग्य हैं। इसलिए निवेदन हैं कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावें ।

राजपेरोकार का दौराने बहस कथन था कि प्रश्नगत भूमि राजकीय भूमि हैं जिस पर अपीलांट द्वारा चार दिवारी बनाकर व टीनसेड लगाकर अनाधिकृत कब्जा किये जाने से तहसीलदार, नागौर द्वारा विधिक कार्यवाही करते हुवे बेदखली का निर्णय पारित किया गया हैं,जो सही निर्णय पारित किया गया हैं। इसलिए अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत पटवारी हल्का,नागौर एवं भू0अभिलेख निरीक्षक,नागौर की रिपोर्ट दिनांक 19.03.2024 के अनुसार ग्राम नागौर के खसरा नम्बर 95 रकबा 0.1780 है0 किस्म भूमि बारानी4 पर श्री जेठमल पुत्र दाउलाल कौम माली,निवासी–स्टेशनरोड़,नागौर द्वारा सम्वत् 2080 में चारदिवारी,टीनशेड व घास उगाकर अनाधिकत कब्जा किया हैं। उक्त रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय तहसीलदार,नागौर में प्रकरण संख्या 29/2024 दिनांक 20.03.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिऐ नोटिस तलब किया गया हैं। पत्रावली पर उपलब्ध नोटिस परत पर हल्फिया रिपोर्ट तामील कुनिन्दा की इस

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

3.1.25
कलक्टर नागौर

आशय की हैं कि आसामी से तामिल किया। इस प्रकार इस रिपोर्ट से यह प्रकट हैं कि इस प्रकरण की तामिल विधिवत् अपीलांट को हो चुकी थी तथा अपीलांट का यह कहना की उनके द्वारा नोटिस तामिल नहीं किया गया मानने योग्य कथन नहीं हैं।

प्रस्तुत प्रकरण में राजस्व कार्मिकों की रिपोर्ट दिनांक 19.03.2024 के अनुसार प्रश्नगत भूमि राजकीय बारानी4 भूमि हैं। साथ ही पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल सम्वत् 2077 अनुसार खसरा नम्बर 95 रकबा 9.8703 है0 बारानी 4 खाता संख्या 1 में राजकीय खाते में दर्ज हैं। इस प्रकार उपरोक्त रिपोर्ट अभिलेख के अनुसार प्रश्नगत भूमि राजकीय भूमि हैं। इसके अतिरिक्त अपीलांट ने स्वयं ने अपील के पैरा संख्या 8 में इस सरकारी भूमि पर उनका अतिक्रमण होना स्वयं ने स्वीकार किया हैं। इस प्रकार जब राजस्व रेकार्ड एवं अपीलांट के कथना अनुसार अपीलांट प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी हैं,इसलिए अतिक्रमी को कानून में कोई भी राहत प्रदान नहीं की जा सकती हैं।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 95 रकबा 0.1780 हैं0 पर अपीलांट का नाजायज अतिक्रमण साबित हैं तथा धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट. के तहत तहसीलदार,नागौर द्वारा अपीलांट को इस जमीन का अतिक्रमी घोषित कर जुर्माना एवं बेदखली का आदेश दिनांक 03.04.2024 पारित किया गया हैं,यह आदेश विधि अनुरूप होने से इस आदेश में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जेर अपील यथावत् रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का असल रिकार्ड निर्णय की प्रति सहित पुनः लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 08.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

8.1.25

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर
नागौर

कलक्टर नागौर